झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–559 वर्ष 2017

बबीता कुमारी किस्कु, पत्नी–निर्मल कोल, निवासी ग्राम–फिटकोरिया, डाकघर–बेंगाबाद, थाना–बेंगाबाद, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड)

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य सचिव, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग, झाकड़, रांची, झारखण्ड सरकार के माध्यम से

2. उपायुक्त, गिरिडीह, डाकघर–गिरिडीह, थाना–गिरिडीह (टी0), जिला–गिरिडीह (झारखण्ड)

3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेंगाबाद, डाकघर–बेंगाबाद, थाना–बेंगाबाद, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड)

4. जिला कल्याण अधिकारी, गिरिडीह, डाकघर–गिरिडीह, थाना–गिरिडीह (टी0), जिला–गिरिडीह (झारखण्ड)

5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, डाकघर–बेंगाबाद, थाना–बेंगाबाद, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड)

6. मंजू कुमारी, पत्नी–अनिल यादव, निवासी ग्राम–फिटकोरिया, डाकघर–बेंगाबाद, थाना–बेंगाबाद, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड)

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री महेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता राज्य के लिएः— सुश्री रूचि रामपुरिया, सीनियर एस0सी0—I के जे0सी0,
सुश्री नीलम तिवारी, सीनियर एस0सी0—I के जे0सी0

02/06.02.2017 याचिकाकर्ता पोषण सखी के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग कर रहा है।

2. सुना।

3. दिनांक 29.04.2016 के सार्वजनिक नोटिस का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है, को अवैध रूप से नियुक्ति से वंचित किया गया है।

4. पृष्ठ 39 पर प्रस्तुत किए गए उम्मीदवारों के तुलनात्मक योग्यता चार्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता के आवेदन की फोटो प्रति जो आर0टी0आई0 के माध्यम से प्राप्त की गई है, यह प्रकट करेगा कि उसने जाति प्रमाण पत्र जमा किया है। विवाद अब तथ्य का विवादित प्रश्न बन गया है। उपरोक्त के अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि पांच उम्मीदवारों ने आंगनबाड़ी केंद्र फिटकोरिया में पोषण सखी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। अन्य उम्मीदवारों के पास इंटरमीडिएट की योग्यता है, जबकि याचिकाकर्ता मैट्रिक पास है। प्रतिवादी संख्या 6 ने उच्चतम अंक हासिल किए हैं। याचिकाकर्ता को छोड़कर अन्य सभी उम्मीदवार पिछड़े जाति के हैं। सुश्री रूचि रामपुरिया, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका—सह—पोषण सखी के चयन के लिए दिशा—निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि आम तौर पर गांव के बहुसंख्यक जाति से

नियुक्तियां की जाती हैं। प्रतिवादी संख्या 6 ऐसी जाति से संबंधित है जो गांव में बहुसंख्यक है। इसके अलावा, वह याचिकाकर्ता की तुलना में बेहतर योग्यता रखने वाला उम्मीदवार है।

5. इसको देखते हुए, मुझे रिट याचिका में कोई गुणावगुण नहीं मिली और तद्नुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)